संख्या - 008/वी.जी.एल/001
भारत सरकार
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 19.05.2008

परिपत्र संख्या 18/05/08

विषय: बड़ी सरकारी प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा पैक्ट अंगीकरण के संबंध में ।

आयोग ने दिनांक 4/12/07 के अपने कार्यालय आदेश संख्या 41/12/07 द्वारा पत्र संख्या 007/वी.जी.एल/033 परिचालित किया था जिसमें सरकारी संगठनों को उनके बड़े प्रापण क्रियाकलापों के संबंध में सत्यनिष्ठा पैक्ट अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया था । आयोग ने यह भी निदेश दिया था कि संबंधित पक्षों द्वारा पैक्ट के अंतर्गत दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतन्त्र बाहरी प्रबोधकों की नियुक्ति की जाए, यह नियुक्ति पैनल में नामों को शामिल करने के लिए आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद की जाए ।

2. चूंकि सत्यनिष्ठा पैक्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, अत: यह आवश्यक है कि नियुक्ति के लिए संस्तुत: व्यक्तिओं के पास संबद्ध क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो तथा उनकी सत्यनिष्ठा एवं प्रसिद्धि बहुत उच्च हो ।

3. अत: आयोग निदेश देता है कि संगठन, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के सूचीकरण के लिए व्यक्तियों के नामों को भेजते समय प्रत्येक प्रस्तावित व्यक्ति के विषय में विस्तृत जीवन-वृत भेजे । यदि नाम सरकारी क्षेत्र में कार्य कर चुके व्यक्तियों के हैं तो जीवन वृत्त में अन्य विवरणों के साथ, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के रूप में प्रस्तावित व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम दस वर्षों के दौरान हुई तैनातियों का विवरण शामिल होना चाहिए । 10 वर्षों से पिछले अनुभव संबंधी विवरण भी जीवन वृत्त में शामिल होना चाहिए यदि उनके पास उस सार्वजनिक उपक्रमों के क्रियाकलापों का संबद्ध क्षेत्र अनुभव है जहां स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के रूप में उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाना है ।

भविष्य में अनुपालन के लिए इसे नोट किया जाए ।

-ह0/-
(राजीव वर्मा)
अवर सचिव

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी